ग्लोबई नेटवर्क

स्रोत: TH

हाल ही में भारत को **भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के वैश्विक परिचालन नेटवर्क (ग्लोबई नेटवर्क)** की 15 सदस्यीय संचालन समिति हेतु चुना गया।

ग्लोबई के बारे में:

- ग्लोबई नेटवर्क **G-20 की पहल है जिसे वर्ष 2020 से भारत द्वारा समर्थित किया जा रहा है।**
  - इसकी स्थापना वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के खिलाफ **संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सम्मेलन में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान की गई थी।**
- इसका संचालन इसके सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसे **ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)** द्वारा समर्थन प्राप्त है।
  - वर्तमान में इसमें **121 सदस्य देश** और 219 प्राधिकरण शामिल हैं।
  - इसकी पहलों के प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन हेतु इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 सदस्य शामिल हैं।
  - यह **सीमा पार वित्तीय अपराधों को रोकने** के क्रम में **खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।**
- **इस संदर्भ में** भारत में **गृह मंत्रालय (MHA)** केंद्रीय प्राधिकरण है जिसमें **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** और **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** सदस्य प्राधिकरण हैं।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्य प्रयास:

- **वैश्विक:**
  - **भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCAC)**
  - **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI)**
  - **G-20 भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह**
- **राष्ट्रीय:**
  - **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013**

अधिक पढ़ें: भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCAC)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/globe-network